# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) सेड़वा जिला बाड़मेर

| प्रार्थीगण | | विप्रार्थीगण |
|---|---|---|
| 1. नारणाराम पुत्र केशाराम जाति स्वर्णकार (सोनी) निवासी गौड़ा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। | बनाम | 1. खेमाराम 2. देदाराम 3. लिखमाराम पि. जगमालराम 4. तुलसा 5. पुनमा 6. पुरखा 7. मदा 8. राऊ पि. पना जातियान कुम्हार निवासी गौड़ा तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर। 9. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार सेड़वा। |

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राज.भू. राजस्व** अधिनियम वास्ते नेखमबंदी बाबत्।

दिनांक : 09.09.2022

राजस्व आवेदन संख्या 82/2022

**आदेश**

तहसीलदार सेड़वा को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण मेंके चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार सेड़वा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त विवादित भूमि की पेमाईश आप अपने स्तर पर टीम गठित कर दोनों पक्षों को विधि को विधि सम्मत नोटिस के जरिये सूचित कर यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तथा नेखमबंदी की पालना 15 दिवस में अवश्य पेश करें। नेखमबंदी के दौरान किसी बिन्दु पर किसी प्रकार निर्माण होने की स्थिति में उस बिन्दु पर नेखम स्थापित नहीं किया जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहसीलदार दोनों पक्षों को नोटिस जारी करने के उपरान्त ही नेखमबंदी की कार्यवाही करेंगें।

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात न हों। आवश्यकता होने पर संबंधित पुलिस थाना से इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है।

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

दिनांक 09/09/22

क्रमांक/भू.अ./2022/ 1869-74

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ-

1. तहसीलदार सेड़वा।
2. प्रार्थी नारणाराम पुत्र केशाराम।
3. विप्रार्थीगण खेमाराम पुत्र जगमालराम वगैरा।
4. थानाधिकारी पुलिस थाना सेड़वा/चौहटन/बाखासर/धोरीमन्ना।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.10.16 18:52:08 IST
Reason: SelfAttested

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

राजस्व आवेदन सं. 82/2022 अन्तर्गत धारा 111,128 एल.आर.एक्ट

**नारणाराम वगैरा बनाम खेमाराम वगैरा**

पीठासीन अधिकारी –श्री रामजी भाई कलबी आर.ए.एस

प्रार्थी वकील – श्री श्रीराम विश्नोई

विप्रार्थी संख्या 1 से 3 के वकील– श्री दोष मोहम्मद

**निर्णय** दिनांक – 09.09.2022

प्रस्तुत प्रकरण में संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मे कथन किया है कि तहसील सेडवा पटवार क्षेत्र झडपा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरटी के मौजा झडपा के खेत खसरा सख्या 107 रकबा 9.5991 हैक्ट. (59.06 बीघा) किस्म बारानी सोयम स्थित है। प्रार्थी के खेत के पास विप्रार्थीगण उक्त खातेदारी भूमि के पडोसी है। जिनके खेत प्रार्थी के खेत के पडोस में स्थित होने के कारण बरसात के समय वक्त काश्त अक्सर विप्रार्थीगण सेढो को लेकर विवाद करते रहते है। प्रार्थी एव विप्रार्थीगण के मध्य सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगड्डी पेमाईश एवं नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी ने पेमाईश एवं नेखमबन्दी करने का निवेदन किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस बाद तामिल प्राप्त हुए। जिन्हे शामिल मिशल किया गया। विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की ओर अधिवक्ता दोष मोहम्मद आये। उभयपक्षकारान वकील की बहस सुनी गई। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी के वक्त काश्त प्रार्थी व विप्रार्थीगण के मध्य सीमाओ को लेकर विवाद बना रहता है. इस कारण प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमी की पेमाईश एव नेखमबन्दी करवाना चाहते है। प्रार्थी विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार राजस्व रेकर्ड मे दर्ज होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार की तहसील सेडवा पटवार क्षेत्र झडपा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र अरटी के मौजा झडपा के खेत खसरा संख्या 107 रकबा 9.5991 हैक्ट. (59.06 बीघा) किस्म बारानी सोयम की नेखमबन्दी करने का आदेश दिया जाता है। नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सेडवा को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर को निर्देश दिये जाते है कि वो दोनो पक्षो के रूबरू किसी मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पैमाईश करे व भूमापक कर्ता को यह भी निर्देश दिये जाते है कि किसी सक्षम न्यायालय से स्थगन आदेश न हो तो वो दोनो पक्षो के रूबरू विवादित भूमि की मौके की स्थिति व कब्जे काश्त मे परिवर्तन किये बिना मुस्तकील/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर पेमाईश करे व नेखमबन्दी कर पालना रिपोर्ट पेश करे वक्त पेमाईश हल्का पटवारी को साथ रखे। नेखमबन्दी के दौरान किसी बिन्दु को लेकर विवाद की स्थिति हो तो नेखम स्थापित नही किये जावे और उसकी मौका स्थिति की रिपोर्ट पेश करे। तहरीर जारी हो।

तहसीलदार सेडवा को आदेश दिया जाता है कि वे प्रार्थी के खसरे की नेखमबन्दी विप्रार्थीगण की उपस्थिति मे करावे एव नेखमबन्दी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हो।

नेखमबन्दी पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर पेश हो पत्रावली [illegible] र होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09.09.20[illegible] गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2022.10.16 18:52:08 IST
Reason: SelfAttested

(रामजी भाई कलबी)
उपखण्ड अधिकारी सेडवा
(SDO) सेडवा